संख्या:750/2023/2099/35-4-2023/001-35-4099/32/2022

प्रेषक,

राम प्रीत राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 28 जुलाई,2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद-गोरखपुर में शासनादेश संख्या-214/2022/766/35-4-2022/001-35-4099/32/2022, दिनांक 21 जुलाई, 2022 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 07 कार्यों की रू0 1990.02 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 995.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत 07 कार्यों के सापेक्ष निम्नलिखित 03 कार्यों की अनुमोदित लागत रू0 794.27 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त में अवमुक्त की गई धनराशि रू0 397.13 लाख का पूर्ण उपभोग किया जाना इंगित करते हुए अवशेष रू0 397.14 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है । एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 397.14 लाख (रूपये तीन करोड़ सत्तानबे लाख चौदह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व मे अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	वार्ड नं0-9 सुडिया कुंआ मलिन बस्ती में एल्यूमिनियम फैक्ट्री रोड मुख्य रोड से विरेन्द्र कुमार से अमन पासवान से प्राइमरी विद्यालय तक विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	238.69	119.34	119.35
2	स्पोर्ट्स कालेज चौक से भगवानपुर को जाने वाली सड़क पर इण्डियन आयल पेट्रोल पम्प व यदुवंशी ट्रेडर्स के बीच से जाने वाले सरदार पटेल महाविद्यालय तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाले का निर्माण कार्य।	288.92	144.66	144.46
3	मंझा टोला बशारतपुर पूर्वी से शिवहर्ष मिश्रा के आवास से रामेश्वर शर्मा के आवास होते हुए माता वैष्णों देवी मंदिर तक सड़क नाली निर्माण कार्य।	266.66	133.33	133.33
	योग	**794.27**	**397.33**	**397.14**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 21 जुलाई, 2022 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय 3,97,14,000/- (रूपये तीन करोड़ सत्तानबे लाख चौदह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370304 शहरी क्षेत्रों में सड़कों के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव।

संख्या:750/2023/2099(1)/35-4-2023/001-35-4099/32/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
8- उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
13- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।